

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0023

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

17/07/2025 14:31 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

21/06/2025

Date To (दिनांक तक):

22/06/2025

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 17/07/2025

Time (समय): 14:00
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):
008

Date and Time
(दिनांक और समय):
17/07/2025 14:26
hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 3 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): चौकी बलदेव नगर अम्बाला शहर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुखदीप

(b) Father's Name (पिताका नाम): अमरजीत सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	0081, फेस 02, जग्गी कालोनी अम्बाला शहर, BALDEV NAGAR, AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	0081, फेस 02, जग्गी कालोनी अम्बाला शहर, BALDEV NAGAR, AMBALA, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9541879755

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	ASI मुकेश कुमार			1. पुलिस चौकी बलदेव नगर, BALDEV NAGAR, AMBALA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

प्रबंधक अफसर,

थाना राज्य चौकसी एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

अम्बाला मंडल अम्बाला।

श्रीमान जी,

दिनांक 22.06.2025 को मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारियों के बासवारी गाडी सरकारी बराये खुफिया ड्यूटी जिला अम्बाला मौजूद था कि शिकायतकर्ता सुखदीप सिंह उर्फ विक्की पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी मकान न० 81 फेस-2 जग्गी कॉलोनी अम्बाला शहर ने मुलाकी होकर एक दरखास्त पेश की, जिसका मजबुन इस प्रकार से है "मैं सुखदीप सिंह उर्फ विक्की पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी मकान न० 81 फेस-2 जग्गी कॉलोनी अम्बाला शहर का रहने वाला हूँ कि मैं कार सेल परचेज का काम अम्बाला शहर में करता हूँ। दिनांक 18.06.2025 को मेरे दोस्त गोल्डी का मोटर साइकिल के सम्बंध में मोहित मिस्त्री बलदेव नगर से मोटर साइकिल ठीक न होने की वजह से आपस में झगडा हो गया था गोल्डी ने मुझे फोन करके बलदेव नगर बुला लिया था जहा पर हमारा मोहित मिस्त्री से झगडा हो गया था जिस वजह से मोहित ने हमारे खिलाफ मुकदमा नम्बर 165 दिनांक 18.06.2025 को थाना बलदेव नगर में दर्ज करवा दिया था जो मुकदमें में गोल्डी को उसी दिन और मुझे अगले दिन ASI मुकेश और चौकी इंचार्ज बलदेव नगर ने गिरफ्तार कर लिया था जो उसी दिन इन्होंने मेरे अन्य दोस्तों का भी इस पर्चे में गलत नाम डालने का दबाव बनाकर और मेरा पुलिस रिमाण्ड न माँगने के नाम पर मेरे से 20,000/- रुपये माँगे जो मेरे मासड जी भुपिन्द्र सिंह निवासी गाँव कुलडपुर नारायणगढ के रहने वाले ने अपने हाथों से ASI मुकेश को दे दिए और मेरे मासड के सामने मुझे कहा कि 30 हजार रुपये और लगेंगे तेरे दोस्त दीपू और कमलदीप शर्मा का नाम निकलवा दुगां। कल दिनांक 21.06.2025 को अपनी जमानत करवाकर जब घर वापिस आया तो मैं मुकेश कुमार को मिलने बलदेव नगर चौकी चला गया तो वहाँ जाकर मुझे मुकेश कुमार मिला और उसके साथ एक और मुलाजिम मिला जिसका मुझे नाम पता नहीं है इन्होंने कहा कि दीपू और कमलदीप को निकालने की बात हुई और दूसरी पार्टी से Compromise करवाने के नाम पर कुल 35,000/-रुपये की डिमांड की जिसमें से 15,000/- रुपये Compromise के और 20,000/- रुपये नाम निकलवाने के मांगे जिसे मैंने कहा कि कुल 20 हजार रुपये में Final कर दो। जो आज मुझे 20,000/-रुपये देने के लिए चौकी में ASI मुकेश ने बुलाया है जो मैं ASI मुकेश कुमार को 20 हजार रुपये रिश्त नही देना चाहता। उसे मैं रिश्त लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ आपको शिकायत के साथ 20 हजार पेश कर रहा हूँ। मेरे द्वारा की गई रिकार्डिंग आपको बाद में पेश कर दूंगा। मेरी शिकायत पर कानूनी कारीवाई की जाए"। SD Sukhdeep Singh (सुखदीप सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह वासी मकान न० 81 फेस-॥ जग्गी कॉलोनी अम्बाला सिटी 9541879755 दिनांक 22.06.2025) जिस हालात बारे अफसरान बाला को अगवत करवाकर आरोपी को रिश्त लेते हुऐ रंगे हाथ पकड़ने के लिए रेडिंग पार्टी तैयार की गई व स्वतन्त्र गवाह व छाया गवाह की नियुक्ति करवाई, परन्तु आरोपी को रेड का शक होने के कारण शिकायतकर्ता ने बतलाया कि उपरोक्त आरोपी मुकेश कुमार पुलिस चौकी बलदेव नगर को शक हो गया है। जो अब वह रिश्त नहीं लेगा, लेकिन शिकायत कर्ता अपनी शिकायत पर कार्यवाही करवाना चाहता था जिस पर मन निरीक्षक द्वारा शिकायत व शिकायत कर्ता द्वारा पेश की गई रिकार्डिंग के आधार पर अपराध 7 पी०सी० एक्ट, 1988 का होना पाये जाने पर असल शिकायत व रिकार्डिंग सी०डी० मय ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाकर अभियोग अंकित करने के लिए अनुमोदन हेतु पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला को भेजा गया था, जिस पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक 722 पु०अ०/भ्र०नि०ब्यूरो/पंचकूला दिनांक 25.06.2025 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला को मुल शिकायत रिकार्डिंग सी०डी० मय ट्रांसक्रिप्ट अभियोग अंकित करवाने की स्वीकृती के लिए भेजी गई थी। जो मुल शिकायत, रिकार्डिंग सी०डी० मय ट्रांसक्रिप्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला, के क्रमांक न० 13698/शिकायत/170/अम्बाला/2025 दिनांक 15.07.2025 व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के डायरी न० 643 पु०अ०/ ACB/PKL दिनांक 16.02.2025 के अनुसार अनुमोदीत होकर अभियोग अंकित करने के लिए प्राप्त हुई है। जो शिकायत कर्ता सुखदीप सिंह द्वारा दी गई शिकायत व रिकार्डिंग बातचीत में सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार पुलिस चौकी बलदेव नगर शिकायत कर्ता सुखदीप सिंह से मुकदमा न० 165/2025 थाना बलदेव नगर में गलत नाम डालने का दबाव बनाकर व पुलिस रिमाण्ड ना लेने की एवज में 20,000/-रुपये रिश्त राशी शिकायत कर्ता के मासड भुपिन्द्र सिंह के माध्यम से प्राप्त करने तथा शिकायत कर्ता का दोस्त दीपू व कमलदीप शर्मा का नाम निकालने की एवज में 35,000/- रुपये की माग करने तथा शिकायत कर्ता द्वारा बातचीत व अनुरोध करने पर सौदा 20,000/- रुपये में फाईनल तय हुआ और आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को रिश्त की राशी लेने हेतु बुलाया गया था। जो आरोपी सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार द्वारा सरकारी कार्य की एवज में रिश्त की मांग करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का होना पाया गया है। अत आरोपी सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार पुलिस चौकी बलदेव नगर के विरुद्ध के धारा 7 पी०सी०एक्ट 1988 के अपराध के तहत अभियोग अंकित करवाने के लिए तहरीर तैयार करके सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र 168/अम्बाला के थाना राज्य

चौकसी एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मंडल अम्बाला भेजी जा रही है। जो अभियोग अर्कित करने उपरान्त मिशल मुकदमा व असल तहरीर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अगामी अनुसंधान के लिए सम्बंध अनुसंधान अधिकारी को दी जावे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया सम्बंधित इलाका मजिस्ट्रेट व उच्चा अधिकारी गण की सेवा में भिजवाई जावे।

अज: थाना राज्य चौकसी एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला।

Sd सुभाष चन्द नि0

(निरीक्षक सुभाष चन्द्र).

थाना राज्य चौकसी एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

सैक्टर-17 पंचकूला।

दिनांक 17.07.2025.

समय:- 11-45 AM

अज थाना :- इस समय एक टाईप शुदा लेख निरीक्षक सुभाष चन्द्र थाना राज्य चौकसी एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकूला। बर दरखास्त सुखदीप सिंह उर्फ विक्की पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी मकान न० 81 फेस-2 जग्गी कॉलोनी अम्बाला शहरबर खिलाफ में सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार पुलिस चौकी बलदेव नगर बाबत आरोपी उपरोक्त दवारा शिकायत कर्ता सुखदीप सिंह से मुकदमा न० 165/2025 थाना बलदेव नगर में गलत नाम डालने का दवाब बनाकर व पुलिस रिमाण्ड ना लेने की एवज में 20.000/-रुपये रिश्त राशी लेने बारे बाजूम धारा 7 पी.सी. एक्ट-1988 का होना पाया जाने पर बादस्त सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र 168/अम्बाला. के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 23 दिनांक 17.07.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट-1988 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ई-मेल के माध्यम से सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक सतपाल 243/KR के हवाले किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक सतपाल, थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): satpal Rank (पद): I (Inspector)
singh
No. (सं.): 241 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

